आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

राजबीर सेहरावत के सामने, जे.

दैनिक भास्कर निगम लिमिटेड-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और प्रतिवादी 2019 का सीडब्ल्यूपी No.14251

06 अप्रैल, 2022

भारत का संविधान, 1950-कला।226 और 227-कामकाजी पत्रकारऔर अन्य समाचार पत्रकर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधानअधिनियम, 1955-खंड 17-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-प्रमाण पत्रकी प्रकृतिमें रिट की मांग करने वाली नियोक्ता की याचिका-श्रमन्यायालय-सह-औद्योगिक न्यायाधिकरण, हिसार को मामले को संदर्भित करने वाले राज्य द्वारा पारित आदेश को रद्द करना-56 कर्मचारियों के वेतन के दावे का निर्णय-न्यायिक तंत्र का संदर्भ देने से पहले नियोक्ता को नोटिस-1947 के अधिनियम के विपरीत 1955 के अधिनियम की खंड 17 के तहत आवश्यक नहीं है-नियोक्ता न्यायिक तंत्रको संदर्भित करने से पहले सामने नहीं आता है-नियोक्ता की याचिका खारिज कर दी जाती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि संदर्भ याचिकाकर्ता-नियोक्ता को कोई नोटिस दिए बिना किया गया है और जब तक कि याचिकाकर्ता के इरादे का पता नहीं चलता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई विवाद था जिसे न्यायिक तंत्रको भेजा जा सकता है। हालाँकि, यह अधिनियम की धारा 17 की खंड (2) का महत्व नहीं है। यह प्रावधान'विवाद'शब्द का भी उपयोग नहीं करता

है, बल्कि यह 'प्रश्न'शब्द का उपयोग करता है जो राशि के रूप में उत्पन्न हो सकता है।यद्यपि इस न्यायालय ने यह भी पूछा था कि क्या याचिकाकर्ता प्रतिवादीके दावे को 59 में प्रतिग्रहणकरना करने के लिए तैयार है, ताकि किसी भी 'विवाद'की संभावना को दूर किया जा सके और इस तर्क को प्रमाणितकिया जा सके कि पक्षों के बीच कोई विवाद मौजूद नहीं है, हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहने में असमर्थता व्यक्त की है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादीके दावे को 59 में प्रतिग्रहणकरना कर सकता है।अन्यथा भी, अधिनियम की धारा 17 की खंड (2) में न्याय निर्णायक तंत्रका संदर्भ देने से पहले नियोक्ता को किसी भी सूचना की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में, इस अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाऔद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत निर्धारित प्रक्रियासे अलग है। जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत, सुलह प्रक्रियामामले को सुलझा लेने और यह निर्धारित करने के लिए कि कोई विवाद मौजूद है या नहीं, मालिक को नोटिस देने और सुनवाई का अवसर देने का आदेश देती है।

हरियाणा और अन्य (राजबीर सहरावत, जे.)

कामकाजी पत्रकारऔर अन्य समाचार पात्रकर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधानअधिनियम, 1955 की खंड 17 में ऐसी सुलह प्रक्रियापर विचार नहीं किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम या अन्य कानून केवल श्रमन्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू किया जाता है। श्रमन्यायालय के आदेश के बाद, अधिनियम की खंड 17 (3) में निहित प्रावधानके अनुसार अधिनियम की खंड 17 (1) के तहत वसूली फिर से प्रभावीहोगी। प्रावधानखंड 17 सरकार पर एक कर्तव्य डालती है कि वह सबसे पहले राशि की वसूली करे, यदि

राशि पहले से ही निर्धारित है और राशि स्पष्ट नहीं है और कर्मचारी ने मजदूरी राशि के अपने दावे की संतुष्टि के लिए सरकार से संपर्क किया है, तो सरकार को विवाद को न्यायिक तंत्रको भेजना होगा। सरकार किसी भी कर्मचारी के आवेदन के बिना भी राशि के प्रश्नको स्वतः न्यायिक तंत्रको भेज सकती है।इस कानूनी परिपेक्ष्यको ध्यान में रखते हुए, नियोक्ता तब तक तस्वीर में नहीं आता जब तक कि सरकार द्वारा न्यायिक तंत्रको संदर्भ नहीं दिया जाता है।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न्याय निर्णायक तंत्रका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी द्वारा उठाए गए दावे के प्रश्नपर नियोक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदानकिया जाए।जबकि नियोक्ता को प्रश्नके निर्धारण के लिए सुनवाई का अधिकार है, वह अधिनियम की धारा 17 की खंड (2) के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भ देने से पहले किसी भी सुनवाई का दावा नहीं कर सकता है।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा,हरीश राठी, उप महाधिवक्ता हरियाणा।

प्रतिवादी No.31 की ओर से डॉ. सूर्य प्रकाश, अधिवक्ता, शैलेश अग्रवाल, अधिवक्ता और विक्रमअमरनाथ गर्ग, अधिवक्ता

राजबीर सहरावत, जे। (मौखिक)

(1) यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर एक याचिका है जिसमें प्रत्यार्थीसंख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 31.12.2018 (अनुलग्नक पी-7) के आदेश को रद्द करते हुए प्रार्थना के अधिकार कीजारी करने की मांग की गई है। कार्यशील पत्रकारऔर अन्य समाचार पात्रकर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध

प्रावधानअधिनियम, 1955 की खंड 17 (2) के तहत मामले को श्रमन्यायालय-सह-औद्योगिक न्यायाधिकरण, हिसार को 56 कर्मचारियों के वेतन के दावे के निर्णय के लिए संदर्भित करना, यानी प्रतिवादीसंख्या 1 द्वारा पारित विवादित आदेश पर रोक लगाने के लिए एक और अनुरोध के साथ।(2) वर्तमान मामले में शामिल संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि

याचिकाकर्ता एक कंपनी है जो कई स्थानों से समाचार पात्र'दैनिक भास्कर'चलाती है। प्रतिवादी संख्या 4 से लेकर 59 तक याचिकाकर्ता के कर्मचारी हैं। प्रतिवादी संख्या 4 से 59 को उनके वेतन के भुगतान के संबंध में विवाद था। उन्होंने उपयुक्तसरकार/अधिकारियों यानी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को आवेदन भेजे थे। उपयुक्तसरकार ने पाया कि मजदूरी के भुगतान के संबंध में विवाद था, इसलिए, विवाद पर निर्णय लेने और संबंधित पक्षों के अधिकार के निर्धारण के लिए मामला श्रमन्यायालय को भेजा गया है।उपयुक्त सरकार द्वारा दिए गए उक्त संदर्भ को चुनौती देते हुए, वर्तमान याचिका दायर की गई है।

(3) याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया एकमात्रतर्क यह है कि उपयुक्तसरकार ने केवल 33 कर्मचारियों के विवाद के संबंध में एक नोटिस भेजा था, जबकि, संदर्भ को 55 कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। इसलिए, उपयुक्तसरकार द्वारा दिया गया संदर्भ कार्यशील पत्रकारऔर अन्य समाचार पत्रकर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधानअधिनियम, 1955 (संक्षेप में, अधिनियम) के तहत निर्धारित प्रक्रियाका उल्लंघन है। विद्वान वकील

ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता को नोटिस केवल 33 कर्मचारियों के लिए दिया गया था, इसलिए केवल उन कर्मचारियों के लिए ही संदर्भ दिया जा सकता था। एक सहायक तर्क के रूप में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुतकिया है कि उपयुक्त सरकार याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना और इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, कि एक विवाद था, शेष कर्मचारियों के लिए कोई संदर्भ नहीं बना सकती थी।जब तक याचिकाकर्ता के इरादे के बारे में सरकार को पता नहीं था, तब तक यह कहना संभव नहीं है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के धारा संख्या 4 से 59के बीच कोई विवाद था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है

जागरण प्रकाशलिमिटेड बनाम पंजाब राज्य और अन्य, सी. डब्ल्यू. पी.

2018 का No.16275,25.03.2019 पर तय किया गया।(4) इस तथ्य का पता लगाने के लिए कि क्या उपयुक्तसरकार को 33 के अलावा कर्मचारियों से कभी कोई आवेदन प्राप्त हुआ या नहीं, राज्य को इस संबंध में शपथ प्रत्रदायर करने के लिए कहा गया था।राज्य द्वारा शपथ प्रत्रदायर किया गया था, जिसमें यह दावा किया गया है कि 56 कर्मचारियों का दावा प्राप्त हुआ था। चूंकि, याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए, सरकार की राय में, एक विवाद था। चूंकि, विवाद के लिए उपरोक्त अधिनियम की खंड 17 (2) के तहत न्यायनिर्णायक निकाय द्वारा निर्णय की आवश्यकता थी, इसलिए, मामले को उचित रूप से दैनिक भास्कर निगम लिमिटेड बनाम राज्य के लिए श्रमन्यायालय को भेजा गया था।

उचित न्याय और निर्णय के लिए।(5) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि जहां तक राज्य सरकार का संबंध है, उसे 56 कर्मचारियों का दावा प्राप्त हुआ था। उक्त कर्मचारियों ने अपने वेतन का भुगतान न करने के बारे में विवाद उठाया था। कर्मचारियों के दावे में सार पाते हुए, 56 कर्मचारियों के मामले को संदर्भित किया गया है।

(6) विद्वान राज्य के वकील ने इस न्यायालय के दिनांक 22.03.2022 के आदेश के जवाब में एक शपथ पत्रदायर किया है, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया है।(7) याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों की सराहना करने से पहले, अधिनियम की खंड 17 में निहित प्रावधानो का संदर्भ लेना उचित है, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः- "17. नियोक्ता से देय धन की वसूली।-

(1) जहां इस अधिनियम के तहत किसी समाचार पत्रकर्मचारी को किसी नियोक्ता, स्वयं समाचार पत्रकर्मचारी, या उसके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किसी व्यक्ति से कोई राशि देय है, या कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उसके परिवार का कोई भी सदस्य, वसूली के किसी अन्य तरीके पर प्रतिकूलप्रभाव डाले बिना, उसे देय राशि की वसूली के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकता है, और यदि राज्य सरकार, या ऐसा प्रधिकरण, जो राज्य सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे, संतुष्ट है कि कोई भी राशि देय है, तो वह उस राशि के लिए कलेक्टर को एक प्रमाण पत्रजारी करेगा, और कलेक्टर उस राशि की वसूली उसी तरह करेगा जैसे भूमि राजस्व का बकाया है।

(2) यदि इस अधिनियम के तहत किसी समाचार पत्रकर्मचारी को उसके नियोक्ता से देय राशि के बारे में कोई प्रश्नउत्पन्न होता है,

तो राज्य सरकार अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या उसे किए गए आवेदन पर, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के तहत उसके द्वारा गठित किसी भी श्रमन्यायालय को या राज्य में लागू औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान से संबंधित किसी भी संबंधित कानून के तहत प्रश्नभेज सकती है और उक्त अधिनियम या कानून का श्रमन्यायालय के संबंध में प्रभावहोगा जैसे कि इस तरह संदर्भित प्रश्नउस अधिनियम या कानून के तहत निर्णय के लिए श्रमन्यायालय को भेजा गया मामला था।

(3) श्रमन्यायालय के निर्णय को उसके द्वारा राज्य सरकार को भेजा जाएगा जिसने संदर्भ दिया और श्रमन्यायालय द्वारा देय पाई गई किसी भी राशि को उप-खंड (1) में प्रदानकी गई रीति से वसूल किया जा सकता है।"

(8) उपर्युक्त प्रावधानो के अनुकरणसे पता चलता है कि अधिनियम की खंड 17 में वसूली के दो प्रावधान हैं। धारा 17 की खंड (1) मजदूरी की राशि की वसूली के लिए एक प्रावधानकरती है जो निर्धारित राशि है या विवाद में नहीं है; उपयुक्त सरकार की राय में उक्त प्रावधानके तहत, उपयुक्त सरकार वसूली का प्रमाण पत्रजारी करने के लिए अधिकृत है और कलेक्टर को कानून के अनुसार भूमि राजस्व अवशिष्ट के रूप में राशि की वसूली को प्रभावित करने के लिए कहती है। तथापि, यदि उपयुक्त सरकार की राय है कि राशि निर्धारित राशि नहीं है या उक्त राशि के संबंध में कोई प्रश्नहै, तो उक्त पहलू को अधिनियम की धारा 17 की खंड (2) के तहत आवश्यक न्यायनिर्णायकतंत्रको भेजा जाना आवश्यक है। राज्य

सरकार ने इतना ही किया है। इसलिए, उपयुक्त सरकार की कार्रवाई पूरी तरह से अधिनियम की खंड 17 के प्रावधानोके अनुरूप पाई जाती है।

(9) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि संदर्भ याचिकाकर्ता-नियोक्ता को कोई नोटिस दिए बिना किया गया है और जब तक कि याचिकाकर्ता के इरादे का पता नहीं चलता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई विवाद था जिसे न्यायिक तंत्रको भेजा जा सके। हालाँकि, यह अधिनियम की धारा 17 की खंड (2) का महत्व नहीं है। यह प्रावधान'विवाद'शब्द का भी उपयोग नहीं करता है, बल्कि यह 'प्रश्न'शब्द का उपयोग करता है जो राशि के रूप में उत्पन्न हो सकता है।यद्यपि इस न्यायालय ने यह भी पूछा था कि क्या याचिकाकर्ता प्रतिवादी के दावे को धारा 4 से 59 तक में प्रतिग्रहणकरने के लिए तैयार है, ताकि किसी भी 'विवाद'की संभावना को दूर किया जा सके और इस तर्क को प्रमाणितकिया जा सके कि पक्षों के बीच कोई विवाद मौजूद नहीं है, हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहने में असमर्थता व्यक्त की है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादीके दावे को धारा संख्या 4 से 59 तकमें प्रतिग्रहणकर सकता है। अन्यथा भी, अधिनियम की धारा 17 की खंड (2) में न्याय निर्णायक तंत्रका संदर्भ देने से पहले नियोक्ता को किसी भी सूचना की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में, इस अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत निर्धारित प्रक्रियासे अलग है। जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत, सुलह प्रक्रियानोटिस देने और नियोक्ता को मामले को सुलह करने और यह निर्धारित करने के लिए सुनवाई का अवसर देने का आदेश देती है कि क्या कोई विवाद मौजूद है या नहीं, कामकाजी पत्रकार और अन्य समाचार पत्रकर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 की

खंड 17 के तहत, ऐसी सुलह प्रक्रियापर विचार नहीं किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम या अन्य कानून केवल श्रम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू किया जाता है।

श्रमन्यायालय के आदेश के बाद, दैनिक भास्कर निगम लिमिटेड बनाम राज्य

हरियाणा और अन्य (राजबीर सहरावत, जे.)

अधिनियम की खंड 17 (3) में निहित प्रावधानोंके अनुसार अधिनियम की खंड 17 (1) के तहत वसूली फिर से प्रभावीहोगी। प्रावधान खंड 17 सरकार पर एक कर्तव्य डालती है कि वह सबसे पहले राशि की वसूली करे, यदि राशि पहले से ही निर्धारित है और राशि स्पष्ट नहीं है और कर्मचारी ने मजदूरी राशि के अपने दावे की संतुष्टि के लिए सरकार से संपर्क किया है, तो सरकार को विवाद को न्यायिक तंत्रको भेजना होगा। सरकार किसी भी कर्मचारी के आवेदन के बिना भी राशि के प्रश्नको स्वतः न्यायिक तंत्रको भेज सकती है। इस कानूनी परिपेक्ष्यको ध्यान में रखते हुए, नियोक्ता तब तक तस्वीर में नहीं आता जब तक कि सरकार द्वारा न्यायिक तंत्रको संदर्भ नहीं दिया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायनिर्णायक तंत्रका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी द्वारा उठाए गए दावे के प्रश्नपर नियोक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदानकिया जाए।जबकि नियोक्ता को प्रश्नके निर्धारण के लिए सुनवाई का अधिकार है, वह अधिनियम की धारा 17 की खंड (2) के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भ देने से पहले किसी भी सुनवाई का दावा नहीं कर सकता है।

(10) हालाँकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जागरण प्रकाशलिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, हालाँकि, वह निर्णय वर्तमान मामले में

शामिल विवाद के लिए प्रासांगिक नहीं है।वह मामला, विशेष रूप से, सहायक श्रमआयुक्त की संदर्भ देने की शक्ति से संबंधित था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त प्राधिकारीके पास संदर्भ देने की शक्ति नहीं थी। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी नहीं दिया गया है कि जिस प्राधिकरणने संदर्भ दिया है वह ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं था। तर्क केवल कोई भी संदर्भ देने से पहले नोटिस की आवश्यकता है।इसलिए, जागरण प्रकाशलिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय पूरी तरह से अलग है, बल्कि पूरी तरह से एक अलग पहलू पर है। इसलिए, यह याचिकाकर्ता के मामले के लिए किसी भी तरह से सहायक नहीं है।

(11) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर, इसे खारिज कर दिया जाता है।

(12) लंबित विविध आवेदनों, यदि कोई हों, का भी निपटान किया जाता है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण– स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है। ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उददे्श्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

विनती वशिष्ठ, अनुवादक, जिला न्यायालय, सोनीपत।